| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एल.आर./501/2004/जोधपुर<br>महेश गम एण्ड ऑयल इण्ड. बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकलपीठ**
**श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य**

**उपस्थित**

श्री एस.एन. बेनीवाल, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री बिजेन्द्र चौधरी, अति. राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी

**निर्णय**

दिनांक 27.02.2019

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर पारित निर्णय दिनांक 15–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रभारी अधिकारी राजस्व कैम्प पंचायत समिति ओसिया ने अपने आदेश दिनांक 1564 दिनांक 22–02–1983 से विवादित आराजी खसरा नम्बर 1542 रकबा 65.02बीघा भूमि को गोचर घोषित किया। उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, भू–अभिलेख, ओसिया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1212 दिनांक 23–02–1983 स्वीकृत किया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने अपर जिला कलक्टर, द्वितीय, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 05–06–2002 से खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–10–2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एल.आर./501/2004/जोधपुर<br>महेश गम एण्ड ऑयल इण्ड. बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष्ज्ञ प्रार्थी ने सेट–अपार्ट के आदेश के विरूद्ध चुनौती दी थी, जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–01–2003 से प्रार्थी की अपील को स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध में पारित सेट–अपार्ट आदेश दिनांक 22–02–1983 निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण भी उसी अनुरूप संशेाधित किया जाना चाहिए था। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर वर्ष 1975 से फैक्टरी स्थापित हो चुकी थी तो ऐसी भूमि को गोचर के रूप में कोई उपयोग नहीं हो सकता था एवं ना ही उक्त फैक्टरी के स्थापति होने के बाद यह भूमि गोचर हेतु सेटअपार्ट की जा सकती थी। उनका कथन है कि ग्राम पंचायत ओसिया द्वारा श्री छतरसिंह के नाम सम्वत् 2005 में आबादी पट्टा जारी कर दिया था एवं इस पटटै के आधार पर प्रार्थी ने श्री छतरसिंह से पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से यह भूमि क्रय कर वर्ष 1975 में सम्बन्धित ग्राम पंचायत से अनुमतिप्राप्त कर विवादित भूमि पर ऑयल इण्डस्टीज स्थापित कर दी, जो आदिनांक तक प्रभावशील है तथा इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा भी प्रार्थी के हक में स्थगन आदेशपारित कर रखा है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एल.आर./501/2004/जोधपुर<br>महेश गम एण्ड ऑयल इण्ड. बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी की विवादित आराजी की हद तक नामान्तरकरण संख्या 1212 को निरस्त किया जावे।

योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रभारी अधिकारी, ओसिया ने राजस्व कैम्प के दौरान जनहित में विवादित आराजी की किस्म गोचर में परिवर्तित की गयी थी। उनका कथन है कि प्रभारी अधिकारी को इस प्रकार के आदेश पारित करने की राज्य सरकार द्वारा शक्तियां प्रदत्त की गयी थी, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन मगरा एवं बाद में गौचर दर्ज होने से प्रार्थी को विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णय का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम ओसिया के खसरा नम्बर 1542 रकबा 65.02बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रारम्भ में गैर मुमकिन मगरा दर्ज थी, जिसे बाद में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अभियान कैम्प, औसिया द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1565 दिनांक 22-02-1983 से राजस्व रिकार्ड में गोचर भूमि घोषित करने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, ओसिया द्वारा दिनांक

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एल.आर./501/2004/जोधपुर<br>महेश गम एण्ड ऑयल इण्ड. बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 23-02-1983 को विवादित नामान्तरकरण संख्या 1212 स्वीकृत किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर 1542 रकबा 65.02बीघा भूमि प्रारम्भ में राजस्व अभिलेख में मगरा दर्ज थी, जिसे वर्ष 1983 में पारित आदेश से गोचर दर्ज की गयी, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 1212 स्वीकृत किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी गैर मुमकिन मगरा दर्ज होकर राजकीय भूमि दर्ज थी, जिसे किसी अन्य व्यक्ति को बैचान करने का कोई अधिकार नहीं था, ना ही ग्राम पंचायत, औसिया को पट्टे जारी करने का कोई अधिकार था। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन विधिसम्मत् निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।<br><br>परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है।<br><br>निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे।<br><br>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**( मोहनलाल नेहरा )**<br>**सदस्य** | |